संख्या-10/2025/1964/छप्पन-2024-100/2013

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 16 जनवरी, 2025

विषयः सिविल एन्क्लेव, बरेली के विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 273/ना0उ0नि0/व्य0पत्रा0/2024 दिनांक 10.12.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सिविल एन्क्लेव, बरेली के विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बरेली के पत्र संख्या 11/सात-डी0एल0आर0सी0/सि0ए0वि0/2024 दिनांक 07.11.2024 एवं आयुक्त बरेली मण्डल, बरेली के पत्र संख्या-10/सात-डी0एल0आर0सी0/2024 दिनांक 06.11.2024 द्वारा वांछित धनराशि रू0 54,34,91,971.53/- (चौवन करोड़ चौतीस लाख इक्यानवे हजार नौ सौ इकहत्तर रूपये तिरपन पैसे मात्र) में से शासकीय भूमि की धनराशि रू0 94,20,140.00/- घटाते हुए अवशेष धनराशि रू0 53,40,71,832/- (तिरपन करोड़ चालीस लाख इकहत्तर हजार आठ सौ बत्तीस रूपए मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, बरेली के निवर्तन हेतु प्रदान करने के सम्बन्ध में यथावश्यक निर्णय कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में सिविल एन्क्लेव, बरेली के विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में धनराशि रू0 53,40,71,832/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि रू0 53,40,71,832/- (तिरपन करोड़ चालीस लाख इकहत्तर हजार आठ सौ बत्तीस रूपए मात्र) अवमुक्त कर जिलाधिकारी, बरेली के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

I. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

II. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

III. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

IV. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

V. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

VI. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

VII. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 21 नवम्बर, 2017 के अनुसार उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 के अन्तर्गत उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

VIII. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

IX. उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

X. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

XI. वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही धनराशि के सापेक्ष यदि कोई बचत होती है, तो बचत की धनराशि जिलाधिकारी, बरेली द्वारा राजकोष में जमा कराई जाएगी।

XII. प्रश्नगत स्वीकृति मानक के सम्बन्ध में निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 53,40,71,832/- (तिरपन करोड़ चालीस लाख इकहत्तर हजार आठ सौ बत्तीस रूपए मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, बरेली के निवर्तन पर रखी जाएगी।

4- प्रश्नगत धनराशि वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-38 के अधीन पूंजी लेखा लेखा शीर्ष ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय'' से वहन की जाएगी।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: ई-7-232/दस-2024-2025, दिनांक 15 जनवरी, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

संख्या- 10/2025/1964(1)/छप्पन-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) मण्डलायुक्त, बरेली ।
(4) जिलाधिकारी, बरेली ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, बरेली ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4 |
(7) समीक्षा अधिकारी (बजट)।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in